भारत सरकार/**GOVERNMENT OF INDIA,**
वित्त मंत्रालय,राजस्व विभाग/**MINISTRY OF FINANCE, DEPARTMENT OF REVENUE**
केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त का कार्यालय ,बेलगावी,
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL GST & CENTRAL EXCISE, BELAGAVI,
नं॰ 71,क्लब रोड, बेलगावी-590001/ NO.71, CLUB ROAD,BELAGAVI- 590001.
फोन/**Phone: 0831-2421447** ई-मेल/**Email: cgst-bgmhqrsvgl@gov.in**

दिनांक /Date- #As approved

सेवा में/To,
Shri Goutham Ganesh M H
[redacted]

महोदय/Sir,

विषय/Sub: Information sought with RTI Application Registration No. CCEBL/R/E/26/00098 dated 05.08.2026 under RTI Act, 2005 by Sh. Goutham Ganesh M H- Transfer of RTI under Section 6(3) of RTI Act, 2005-Reg

कृपया आर. टी. आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी के संबंध में अपने आर. टी. आई. आवेदन का संदर्भ लें, जो आर. टी. आई. आवेदन पंजीकरण संख्या सीसीईबीएल/आर/ई/26/00098 दिनांक 05.08.2026 के अनुसार है।

Please refer to your RTI Application regarding information sought under RTI Act,2005 as per the RTI Application Registration No. CCEBL/R/E/26/00098 dated 05.08.2026.

2. सूचना के अनुरोध के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि अपील संख्या सीआईसी/एटी/ए/2008/01280 दिनांक 29.09.2008 में सीआईसी के दिनांक 22.09.2009 के आदेश के साथ पठित आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार अनुपालन के अभाव में इसे प्रदान नहीं किया जा सकता है।

With regard to the request for information, it is to inform that the same cannot be provided for want of compliance in terms of Section 6 (1) of RTI Act, 2005, read with the order of the CIC dated 22.09.2009 in Appeal No. CIC/AT/A/2008/01280 dated 29.09.2008.

3. यदि आवेदक आरटीआई के तहत दायर आवेदन के उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो वह इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, श्री अभयसिंह ज. फालके, अपर आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, नंबर 71, क्लब रोड, बेलगावी-590001 के समक्ष अपील कर सकता है।

If the applicant is not satisfied with the reply to the application filed under RTI, he may prefer an appeal before the First Appellate Authority, Shri. Abhaysinh J. Phalake, Additional Commissioner, Central GST & Central Excise, No.71, Club Road, Belagavi-590001, within 30 days of receipt of this letter.

भवदीय / Yours faithfully,

Digitally signed by
Rajendra Shambu Devarushi
Date: 18-09-2026 17:35:30

राजेंद्र एस. देवरुशी /Rajendra S Devarushi
सहायक आयुक्त (सीपीआईओ) Assistant Commissioner (CPIO)
केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, / Central GST & Central Excise,
सीजीएसटी बेलगावी /CGST Belagavi